**न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.**

**राजस्व द्वितीय अपील संख्या 71/2021**

| **अपीलान्ट** | बनाम | **रेस्पोडेन्टस** |
|---|---|---|
| हीराराम पुत्र मूलाराम घांची<br>निवासी–उगमणावास,बागरा<br>जिला जालोर। | | 1- राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर बाडमेर।<br>2. ग्राम पंचायत देवडा, तहसील सिवाना जिला बाडमेर। |

प्रथम राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम बरखिलाफ आदेश क्रमांक एफ.12(3)(158)/राज/2020/182 दिनांक 11.01.2021 को जिला कलक्टर, बाडमेर ने पारित किया गया।

**उपस्थितिः––**

1. श्री अनिस अहमद, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से उपस्थित।
2. श्री नवलसिंह दहिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित।
3. श्री सुगनमल परिहार, रेस्पो.सं. दो की ओर से उपस्थित।

## निर्णय

**दिनांक सितम्बर, 2021**

1. अपीलान्टस के द्वारा यह प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2021 के विरूद्ध दिनांक 14.06.2021 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पो0 संख्या दो सरपंच ग्राम पंचायत देवडा के पंचायत घर निर्माण हेतु ग्राम देवडा के ख0सं0 540/207 रकबा 1177.10 बीघा किस्म गैर मुमकीन पहाड/चारागाह में से 2.10 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय, बाडमेर के समक्ष निवेदन किया।
3. जिला कलेक्टर बाडमेर ने रेस्पो0 संख्या 02 के आवेदन में दर्शाये गये खसरान भूमि के अनुसार उक्त वर्णित भूमि का उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर एवं तहसीलदार समदडी द्वारा भूमि आवंटन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर उक्त भूमि आवंटन करने व उक्त चारागाह भूमि के वर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप ग्राम देवडा के ख0सं0 167 रकबा 153 बीघा किस्म मगरा में से रकबा 2.10 बीघा भूमि

चारागाह में परिवर्तित करने की अभिशंषा की गई। जिस पर जिला कलेक्टर बाडमेर ने उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2021 के द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 3.11.2020 एवं 3.11.2020 के तहत ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु 2.10 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

4. हमने दोनों पक्षकारान के अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनी।

5. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए साथ ही यह कथन किया कि अपीलान्ट के नाम से एक खनन पटटा एमएल नम्बर 389/05 खनिज ग्रेनाइट निकट ग्राम देवडा तहसील सिवाना में तीन हैक्टर भूमि का जारी दिनांक 14.01.2008 से 20 वर्ष के लिये स्वीकृत हो रखा है जो दिनांक 19.11.2011 को अपीलान्ट के पक्ष में हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन किया गया। उक्त खनन क्षेत्र तक आने जाने एवं माल परिवहन के लिये एक ही रास्ता है जो ग्राम देवडा के ख0सं0 540/207 से होकर गुजरता है जिसका की अपीलान्ट सालों से उक्त रास्ते का निर्बाध रूप से उपयोग करते आ रहे है जिसके कारण ग्राम देवडा के ख0सं0 540/207 में 2.10 बीघा भूमि का ग्राम पंचायत घर आवंटन कर दिये जाने से अपीलान्ट का अपने खनन क्षेत्र में आवागमन का मार्ग बाधित हो गया है।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि ग्राम पंचायत घर निर्माण हेतु भूमि आंवटित किये जाने से पूर्व न तो कोई आपत्ति आमंत्रित की गई और ना ही अपीलान्ट को इस बारे में कोई सूचना ही दी गई। अपीलान्ट के द्वारा समय–समय पर जिला कलेक्टर बाडमेर एवं खनिज विभाग के अधिकारीगण को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त भूमि का आवंटन रदद करने व अपीलान्ट के खनन पटटै तक आवागमन का पर्याप्त मांग प्रदान करने का अनुरोध किया गया लेकिन उक्त प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार खनन क्षेत्र हेतु रास्ता बनाने के लिये किसी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है लेकिन जिला कलेक्टर बाडमेर ने पूर्व में चल रहे रास्ते की जमीन को ही पंचायत घर हेतु आवंटित किया गया है जो नियमानुसार अनुचित होने एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से भी निरस्त योग्य है। उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के समक्ष अपने जीविकोपार्जन का संकट खडा हो गया है यदि आवंटित स्थल में पंचायत भवन का निर्माण हो जाता है तो अपीलान्ट की खान बन्द हो जायेगी और राज्य सरकार को भी राजस्व हानि उठानी पडेगी। अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए अपीलान्ट को निर्बाध रूप से खनन में कोई रूकावट पैदा नहीं हो, ऐसा निर्देश दिया जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पो. सं. की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश को पूर्ण रूप से विधि एवं नियमों के अनुरूप जारी होना बताया तथा अपीलान्ट के द्वारा जो अपने खनन क्षेत्र हेतु जो रास्ता बताया जा रहा है वो राजस्व रेकर्ड में कहीं भी अंकित नहीं है और ग्राम पंचायत घर हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर

तहसीलदार समदडी एवं उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त अभिशंषा अनुसार ही गैर मुमकीन पहाड/चारागाह में से 2.10 बीघा भूमि आवंटित की है जिसे बहाल रखा जावें।

8. प्रत्युतर में रेस्पो. सं. 02 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट के द्वारा जो तथ्य/बातें अपनी अपील में उठाई गई है वह सत्यता से परे है। ग्राम पंचायत घर हेतु जो भूमि आवंटित की गई है वह अपीलान्ट के खनन पटटे वाली भूमि से बहुत अधिक दूर है और जो रास्ता अपीलान्ट के द्वारा बताया जा रहा है वह आवंटित भूमि में नहीं आता है, जो कि गुगल मेप के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम देवडा के गैर मुमकीन पहाड/चारागाह के खसरा संख्या 540/207 के रकबा 1177.10 बीघा में से 2.10 बीघा भूमि हेतु दिनांक 09.09.2020 को प्रस्ताव लिया जाकर सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत घर का निर्णय लिया गया है जिसमें अपीलान्ट के द्वारा किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट के खनन क्षेत्र हेतु आने जाने के लिये पहाड की भूमि पर किसी प्रकार से कोई आवागमन बाधित नहीं हो रहा है। अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

**9.** हमने उपस्थित योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पक्षकारान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों, जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या दो के पक्ष में किये गये आदेश दिनांक 11.01.2021 का गहनता से अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अपील में अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आदेश के अनुसरण में ग्राम पंचायत देवडा के नवीन ग्राम पंचायत घर निर्माण के लिये गैर मुमकीन पहाड/चारागाह की भूमि में से 2.10 बीघा भूमि का आवंटन कर दिये जाने से उनके लाईसेन्सशुदा खनन क्षेत्र/माईन्स में गाडियों के परिचालन आवागमन/आने जाने वाले रास्ते के अवरूद्ध हो जाने का कथन किया है। अपीलान्ट के द्वारा आवंटन आदेश जारी होने के उपरान्त अपनी उपरोक्त आपत्ति को अभ्यावेदन के रूप में जिला कलेक्टर बाडमेर को प्रस्तुत किया गया था।

**10.** इस सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए किसी व्यक्ति/संस्था को अपने माईन्स/खनन क्षेत्र में जाने हेतु यदि पूर्व से कोई रास्ता संचालित किया जा रहा है या हो रहा है तो यदि उक्त रास्ते की भूमि क्षेत्र में किसी प्रकार से ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन किये जाने से अपीलान्ट प्राकृतिक अधिकारों का हनन हो सकता है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील में वर्णित तथ्यों की सत्यता एवं मौके की वर्तमान भौतिक स्थिति यानि वर्तमान स्थल पर रास्ता संचालित हो रहा है अथवा नहीं के सम्बन्ध में प्रभावित पक्षकारान (अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या दो तथा राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में जॉच करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा। तत्पश्चात जिला कलेक्टर बाडमेर स्वयं अपने स्तर पर वस्तुस्थिती की संतुष्टी कर लेने के उपरान्त यथोचित निर्णय लेवें।

**11.** अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपील प्रकरण में वादग्रस्त खसरान भूमि बाबत उपरोक्त ऑब्जर्वेशन अनुसार एक निश्चित तारीख तय करते हुए पक्षकारान एवं राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में उल्लेखित कार्यवाही पूर्ण करवाने के उपरान्त यथोचित निर्णय लेवें। निर्णय आज दिनांक .09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(डॉ. राजेश शर्मा)**
**डिवीजनल कमिश्नर,**
**जोधपुर**